

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

शर्तें:—

1. आदेशक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक 11-2-22, 21-5-22 में दस्तखत समस्त 3 03/04/17 108 05 16 7 92 में
2. निम्नलिखित मर्यादित संख्या 03/04/17 108 05 16 7 92 में स्वीकृत शपथपत्रों से अधिक हस्ताक्षरों का निर्माण नहीं किया जाएगा।
3. शपथ संपन्नता संपूर्ण / सहायित निर्माण के अतिरिक्त, निर्माण / परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियन्त्रक द्वारा प्रमाणित शपथ दाखल सर्टिफिकेट, अंतिम स्वयं सूचकांकपत्र तथा आवश्यक सहायक दस्तावेज होनी।
5. भवन की प्लान दिखाने, शुरूम से हल्ला की वास्तव्या के लिए आदेशक को पत्र दे दिया जायेगा।
6. प्लान के निर्माण से शपथ संपन्नता संपन्न हो जाने पर शपथपत्र नहीं किया जाएगा।
7. किसी कारण से अंतिम शपथ पत्राधिकार प्राप्त करने के लिए शपथ संपन्नता संपन्न होना।
8. प्लान शपथ के संपन्नता अथवा कोई अन्य निर्माण के की जायेगी में शपथ संपन्नता संपन्न शपथपत्र नामा जायेगा।

गान्धियाबाद विकास प्रमाणिका

पत्रा संख्या अंकितरी के
23.22 पर 23.22

पत्रा द्वारा प्रस्तुत श्रमन प्रमाणिका एवं विनिर्माण अनुसूचित श्रमन प्रमाणिका को 19.02.2004 पर 100
श्रमन आदेश दिनांक 10.05.2004 को कोष में प्रस्ताव करने के उपरान्त माननीय उच्च
दिनांक 21.05.2004 को कोष में प्रस्ताव करने के उपरान्त माननीय उच्च
याचालय द्वारा याचिका संख्या 43382/2001 पर 19.02.2004 एवं याचिका संख्या
2435/एमओ/2001 विनिर्माण लक्षण रोकित है दिनांक 18.12.2004 एवं याचिका संख्या
2435/एमओ/2001 विनिर्माण लक्षण रोकित है दिनांक 20.02.2004 के
बनाम उच्च प्रस्ताव प्रमाणिका एवं अन्य विनिर्माण प्रमाणिका के क्रम में प्रस्ताव
द्वारा अनुसूचित श्रमन प्रमाणिका एवं विनिर्माण प्रमाणिका को कोष में प्रस्ताव करने के उपरान्त माननीय उच्च
श्रमन आदेश दिनांक 18.12.2004 एवं 20.02.2004 की अवमानना को
उच्च याचालय के आदेश दिनांक 18.12.2004 एवं 20.02.2004 की अवमानना को
उत्तरदायी होगा।

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT